17/9/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील सायलान उपस्थित। वकील गैर सायलान व गैर सायलान अनुपस्थित। वकील गैर सायलान व गैर सायल को कई आवाजे लगाई गई कोई उपस्थित नही आये अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

बहस प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायलान एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त भूमि ख० नं० 164,165,166, 167,168,277 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा ग्राम तिपथुरी परवार हल्का हरनगर तह० करौली सायलान के पिता नारायण व बाबा भोलू पुत्र नेगू जाति माली निवासी पातरी तह० करौली के सकप की है। जो सायलान व गैर सायलान की पुश्तैनी है। जिसमे सायलान व गैर सायलान नं० 2 ता० 13 के पितागण शिवचरण हरगोविन्द व गैर सायलान नं० 1 जगमोहन का समान हिस्सा 1/3 [illegible] सायलान का 2/5 हिस्सा है। [illegible] हिस्सा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गैर सायलान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है गैर सायल नं. 1 व गैर सायल नं. 2 ता. 13 के पितागण ने सायलान के पिता नारायण के मरने के बाद सायलान से छिपाते हुये अपने हक मे गलत खातेदारी इन्द्राज करा लिये है जो हक हकूक सायलान पर प्रभावहीन व शून्य है। गैर सायलान सायलान को भूमि वाद ग्रस्त से महरूम करना चाहते है और भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर सायलान को भूमि से बेदखल करना चाहते है। गैर सायलान की इस अनधिकार कार्यवाही से हक हकूक सायलान पर भारी आघात है। सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। सायलान गैर सायलान को ता फैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जावें। बहस वकील सायलान का मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। गैर सायलान द्वारा सायलान के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत नही किया है। जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 25/3/2021 को बन्द किया जा चुका है। [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी से [illegible] सायलान व गै[illegible] होना प्रकट होता है। पक्षकारान के हक हकूक मूल दावा मे साक्ष्य उभय पक्ष होने के बाद अंतिम निर्णय से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ... हुक्म की ता... में जारी हु...
	से तय होने है। जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान के हक मे प्रतीत होता है वाद ग्रस्त भूमि को ताफैसला वादपत्र मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखा जाना उचित है। दिनांक 19-6-2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है। गैर सायलान को ता फैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खं नं 164,165,166,167,168 277 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बिचपुरी पटवार हल्का हरनगर तह० करौली के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली के [illegible] रहे। निर्णय [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Dhirendra Singh Date: 2021.10.10 15:29:12 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Scanned with CamScanner